संख्या– 542 / 9–6–2015–2(22) / 2007

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह ,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च , 2015

विषयः– तत्कालीन मण्डलीय उपसंवर्ग / सम्प्रति उ0प्र0 पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अंतर्गत नगर निकायों में बैकलाग को पूरा करने हेतु सृजित अधिसंख्य अस्थायी पदों की वित्तीय वर्ष 2014–15 की क्रमागत निरन्तरता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–6 / 30–शा. / मण्डलीय उपसंवर्ग / अधि. पद / 07 दिनांक 25 फरवरी,2015 के संदर्भ में अवगत कराना है कि उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली,1966 में 23वॉ संशोधन करते हुये शासन की अधिसूचना संख्या–1899 / 9–6–2006–9मिस–05 दिनांक 13 सितम्बर, 2006 द्वारा उ0प्र0पालिका (केन्दीयित) सेवा 23वॉ संशोधन नियमावली 2006 बनायी गयी। इस नियमावली में नगर निगमों / नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों के सफाई कर्मचारियों को छोड़कर समूह "ग" एवं "घ" के कतिपय कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुये पालिका मण्डलीय उपसंवर्ग बनाया गया । इस प्रकार तत्समय उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा मण्डलीय उपसंवर्ग तथा उ0प्र0 पालिका अकेन्द्रीयित सेवा संवर्ग थे। उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा मण्डलीय उपसंवर्ग के अंतर्गत नगर निगमों / नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों में समूह "ग" और "घ" के पदों मे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यमान बैकलाग को पूरा करने हेतु शासनादेश संख्या–2301 / 9–6–08–2(22) / 2007 दिनांक 17.10.2007 द्वारा सीधी भर्ती / पदोन्नति के लिये कुल **634 अधिसंख्य** अस्थायी पदों का सृजन किया गया। इसके उपरान्त शासन की अधिसूचना संख्या–1433 / 9–6–08–9मिस / 2005 दिनांक 15 मई,2008 द्वारा उपर्युक्त मण्डलीय उपसंवर्ग से सम्बन्धित उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा 23 वॉ संशोधन नियमावली, 2006 को विखण्डित किया गया। परिणामस्वरूप शासनादेश संख्या–732 / 9–6–09–2(22) / 2007 दिनांक 27 फरवरी,2009 द्वारा उपर्युक्त मण्डलीय उपसंवर्ग को उ0प्र0पालिका अकेन्द्रीयित सेवा संवर्ग में प्रत्यावर्तित किया गया। नगर पालिका परिषद, फरीदपुर, बरेली में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यमान बैकलाग को पूरा करने हेतु शासनादेश संख्या–428 / 9–6–2010–2(22) / 2007 दिनांक 13 अप्रैल,2010 द्वारा समूह "ग" के अंतर्गत लिपिक के सीधी भर्ती के 03 अधिसंख्य अस्थायी पदों का सृजन 28 फरवरी,2011 तक के लिये किया गया । इस प्रकार कुल **637** अधिसंख्य अस्थायी पदों का सृजन किया गया है।

2— इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या—6/30—शा./मण्डलीय उपसंवर्ग/अधि. पद/07 दिनांक 25 फरवरी, 2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में राज्यपाल कुल 27 समायोजित पदों, जिसकी सूची इस शासनादेश के साथ संलग्न है, को छोड़कर अवशेष 610 अधिसंख्य अस्थायी पदों पूर्ववर्ती प्रतिबन्धों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2014—15 में दिनांक 28.02.2015 तक अथवा कार्मिक की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप या अन्य कारणों से नियमित पद उपलब्ध होने तक अथवा इसके पूर्व इन पदों को समाप्त किये जाने की तिथि, जो भी पहले हो, तक बनाये रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3— प्रश्नगत पदों के सापेक्ष सेवानिवृत्ति या अन्य कारणों से नियमित पद उपलब्ध होने के उपरान्त इन अधिसंख्य पदों का नियमित रूप से समायोजित किये जाने तथा समायोजन की समुचित सूचना निदेशालय, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/नगर विकास विभाग को सूचित करने हेतु सम्बन्धित निकाय के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4— उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाले व्यय का वहन सम्बन्धित स्थानीय निकायों द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा।

5— उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—ए—2—2574/दस—98—24 (8)/92 दिनांक 02 दिसम्बर,1998 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव ।

संख्या—542(1)/नौ—6—2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश की प्रति अपने जनपद की सम्बन्धित निकायों के अधिशासी अधिकारियों को अपने स्तर से तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3— सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ)
4— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—8 ।
5— वित्त (लेखा) अनुभाग—2/कार्मिक अनुभाग—2 ।
6— नगर विकास अनुभाग—1 ।
7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**आर.वी.सिंह**)
उप सचिव ।

miss r2